EMERGING TRENDS IN TEACHING –Learning Resources For Successful Inclusion of Students with Disabilities

Mr. Sunil Bhadu
Smt.S.R.V. Mehta M.Ed College of Special Education
Vidyamandir Trust, Palanpur

सारांश

शिक्षा,समानता और शक्तिकरण की प्रक्रिया का मूल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले भारत सरकार द्वारा अनेक राष्ट्रीय नीति एवं कानून लाए जिसमें भी समावेशी शिक्षा व एकीकृत शिक्षा की बात की गई। सबसे पहले एकीकृत शिक्षा के बारे में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की गई। समावेश से तात्पर्य है कि सभी बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना अर्थात् एक वर्ग खण्ड में बैठने वाले सभी विद्यार्थीयों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है।समानता से तात्पर्य है कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके जिसमे सामान्य व विशेष(दिव्यांगजन) सभी वर्ग के विद्यार्थियों को संकलित किया गया हो।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" के संदर्भ में समावेशी व समानता की धारणा को समाहित किया गया हैं जिसमें सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाहित करके सामान्य पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, समावेशन में भागीदारी देना, मॉडल आधारित शिक्षा देना, लिंग व सामाजिक मतभेदों को कम करना आदि मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करती है।

NEP 2020 भारत में वर्तमान ढांचा गत शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन की दिशा में प्रगतिशील हैं जो वर्तमान में ढांचागत शिक्षण में बदलाव चाहती हैं जो इस समय पर जरूरी है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है जिसके विकास में शिक्षा का विशेष महत्व रहता है।

शब्दावली: समावेश,समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,तकनीकी सहायक यंत्र।

प्रस्तावना

शिक्षा,समानता और शक्तिकरण की प्रक्रिया का मूल है।भारतीय संविधानके मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार एवं शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में बात की गई है जो सभी भारतीयों के लिए शिक्षा व समानता की बात करता है लेकिन भारत में आजादी के बाद से अब तक शिक्षा में असमानता के कारण भारत आज अपनी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है जिसका कारण है कि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकताकाअभावहोना, आवश्यक संसाधनों की कमी, शिक्षण संस्थानों की कमी, परिवार के सदस्यों का कृषि कार्यों में लगेहोना, घर से विद्यालय की दूरी आदि अनेक ऐसे कारण है जिसकी वजह से आज भी ग्रामीण परिवेश,जनजाति समूह व निम्न तबके के लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं। धीरे-धीरे समयकेसाथ होनेवाले परिवर्तनसेशिक्षा में सुधार देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले भारत सरकार द्वारा अनेक राष्ट्रीय नीति एवं कानूनलाए जिसमें भी समावेशी शिक्षा व एकीकृत शिक्षा की बात की गई।इनसेपहले दिव्यांगता के बारे में अनेक सारे आयोग आए जिसमें विकलांग जन अधिनियम 1995, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी

2008, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, निशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 आदि इन सभी कानून में सामान्य व अक्षमता के बारे में अपने-अपने स्तर पर बात की गई हैं सबसे पहले एकीकृत शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर भारत में शिक्षा की समस्याओं और योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को देखते हुए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की गई जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षाएकीकृत शिक्षा के नाम से जाना गया।RTE2009 में प्रत्येक निजी विद्यालय 25 % सीटों के आरक्षण निम्न वर्ग के विद्यार्थियों के लिए रखा गया है इसके साथ ही कोई भी विद्यार्थी अक्षमता के आधार परविद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शिक्षा से वंचित, किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण भेदभाव रहित वातावरण और सरकारी व निजी विद्यालयों की दूरियों को भरने पर जोर देता है समावेशी शिक्षा के बारे में नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम(PWD Act)2016 में समाप्त सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में समावेशी शिक्षा दी जाएगी। इन सभी कानून से लेकिन नि शक्तअधिकार अधिनियम 2016 में और आरटीई 2009 में दिव्यांगताओ के बारे में विशेष रूप से समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है

“समावेश से तात्पर्य है कि सभी बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना अर्थात् एक वर्ग खण्ड में बैठने वाले सभी विद्यार्थीयों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है जिसके लिए शिक्षक को भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना

चाहिए जिससे वर्ग खंड में बैठे हुए समस्त विद्यार्थी आसानी से उस विषय वस्तु को समझ सके।समानता से तात्पर्य है कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके जिसमे सामान्य व विशेष(दिव्यांगजन) सभी वर्ग के विद्या र्थियों को संकलित किया गया हो।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" के संदर्भ में समावेशी व समानता की धारणा को समाहित किया गया हैं जिसमें सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाहित करके सामान्य पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, समावेशन में भागीदारी देना, मॉडल आधारित शिक्षा देना, लिंग व सामाजिक मतभेदों को कम करना आदि मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 भाग व27 अध्याय है जिसमें प्रथम और दूसरे भाग में क्रमशः स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के बारे मेंबतायागयाहै भाग प्रथम के अध्याय 6 मेंसामान्य व समावेशी शिक्षा के बारे में विशेष बातें बताई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतसरकारद्वारा 2015 में अपनाएगएसतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4(SDG–04 शिक्षा) मैं परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडाके अनुसारविश्व में 2030 तक"सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्ता युक्त शिक्षासुनिश्चित करने और जीवन पर्यंतशिक्षा के अवसरो को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य हैंलक्ष्य को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में बदलाव करके लक्ष्य को पूर्ण करना है जिससे नई शिक्षा नीति के तहत सतत विकास एजेंडा 2030 में पूर्णकरसके।

समावेशी व समानता बच्चों के बड़े होने और सीखने के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती हैं जिसकी वजह से बच्चे सामाजिक व भावनात्मक रूप से जरूरतो को पूरा करने में सक्षम बनते हैं जिससे कि वह सहायक वातावरण निर्मित करने के लिए यह बहुत जरूरी है

उद्देश्य

- समावेशी शिक्षा के बारे में जानना
- समानता के बारे में जानना
- दिव्यांग विद्यार्थियों का सामान्य विद्यार्थियों के साथतालमेल बैठाना
- समुदाय आधारित पुनर्वासन को बढ़ावा मिलना
- दिव्यांग विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता का संचार होना

समावेशी शिक्षा वा समानता का अर्थ

समावेशी शिक्षा का अर्थहै सभी बच्चों के लिए शिक्षा।जिसका अर्थ है कि वर्गखंड में प्रत्येक विद्यार्थियों की अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर के शिक्षण कार्य करवाया जाए,वर्ग खंड में प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट होते हैं उन विशेषताओं के कारण बच्चों के शिक्षण शैली ववविषय वस्तु को समझने की योग्यता अलग-अलग होती हैं उन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर के प्रत्येक पहलू को समावेशित करना और उसी पर कार्य करना समावेशन कहलाता है। समावेशी शिक्षा को इस बात पर भी लागू करनी चाहिए

कि सामान्य विद्यालय में प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता पूरी होअर्थात् कक्षा के प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

सलमानका सम्मेलन 1994 के अनुसार समावेशित शिक्षा : "..... बच्चों को उनके शारीरिक, बुद्धिमता,सामाजिक भावनात्मक भाषायी याकोई अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना विद्यालय को सभी बच्चों को दाखिला देना चाहिए ।

(सलमान का कथन 1994)

समावेशी शिक्षा में एक बात को ध्यान में रखना चाहिए की समावेशन का तात्पर्य है केवल दिव्यांग बच्चों को ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनाहै बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्न वर्ग एवं योग्यता को एक ही वर्ग खंड में शिक्षा देना समावेशित कहलाता है

एनसीएफ 2005 – "समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक दार्शनिक सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है, वही समायोजन को परिभाषित करता है समायोजन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना,अंतरक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है"

समावेश से तात्पर्य है कि सभी बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना अर्थात् एक वर्ग खण्ड में बैठने वाले सभी विद्यार्थीयों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है जिसके लिए शिक्षक को भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना चाहिए जिससे वर्ग खंड में बैठे हुए समस्त विद्यार्थी आसानी से उस विषय वस्तु को समझ सके।

समानता का अर्थ: समानता से तात्पर्य है कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके जिसमे सामान्य व विशेष(दिव्यांगजन) सभी वर्ग के विद्या र्थियों को संकलित किया गया हो।शिक्षामें समानता का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच और लिंग,धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और सभी कोसमान उचित अवसर,स्वीकार्य भाषा का उपयोग तथा लोगों का आदर करना आदि सभी दृष्टिकोण इन मूल्यों का आधार होना चाहिएसमानता की सुनिश्चितता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा प्रदान करना शिक्षक, विद्यालय तथा पाठ्यचर्या के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शिक्षक को विद्यार्थियों में समाज के दूसरे वर्गों के बच्चों, विशेष कर अलाभान्वित तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति तथा समाज में महिलाओं की स्थिति की समझ को विकसित करने के योग्य बनाना चाहिए जिससे समाज में एक शिक्षित वर्ग का विकास होगा जिसमें सभी प्रकार से महिलाएं व पुरुष में समान रूप से भागीदारी देखने को मिलेगी तथा वह सभी एक साथ रहेंगे और विकास करते रहेंगे समाज के लिए सभी सदस्य महिला और पुरुष एक दूसरे पर आश्रित हैं महिला और पुरुषों के सभी बड़े और छोटे,

प्राथमिक व द्वितीय कार्य सामाजिक व्यवस्था में भाग लेते हैं और सभी सदस्य मिलकर के अपने अधिकारों तथा सम्मान के संबंध में समान है

समता: समता से अभिप्राय है कि सभी को उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर के उनकी पूर्ति करना या उनके औचित्य को पूरा करना। प्राय: देखते हैं समता का प्रयोग समानता के समान ही लिया जाता है लेकिन सामान्य रूप से हम जानते हैं सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाना या सभी तरह से सामान तक देना समानता कहलाता हैं

शिक्षा में समावेशन के फायदे: समावेशी शिक्षा में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर के एक साथ शिक्षण कार्य करवाया जाता है जिसके कारण समाज की मुख्य धारा से पिछड़े होने के कारण उसको समावेशित करके वापस से समाज के मुख्य धारा में लाना, सामान्य विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों को भी शिक्षण कार्य उच्च संसाधनों के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है जिसके कारण दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए दर–दर की ठोकरे खाने की जरूरत नहीं पड़ती हैं क्योंकि दिव्यांग विद्यार्थी अपने नजदीक क्षेत्र के सामान्य विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सके।समावेशी शिक्षामैं एक नए समाज का निर्माण होता है जिस्म अलग-अलग समुदाय के बीच समरसता बढ़ती हैं और छात्रों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समृद्धि मिलते हैं जिसमें अलग-अलग धर्म ,अलग-अलग समुदाय ,लिंग के आधार पर समायोजन करने में सहायता मिलती हैंसमावेशी शिक्षा में छात्रों को सामाजिक सहयोग समर्थन, समानता का अनुभव होता है जिससे उनकी सामाजिक सजकता बढ़ती हैं साथ विभिन्न सांस्कृतिक व भाषाके बीच साझेदारी बढ़ती हैं जो सामाजिक समझ और सम्मेलन

को बढ़ावा देता है जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे की संस्कृति को जानते वह समझते हैं जिससे एक सभी नागरिक का निर्माण होता हैसमावेशीशिक्षा के माध्यम से छात्रों को विभिन्न परंपराओं समाज की विचारधाराओं को समझने व उनका समान करने की क्षमता विकसित होती हैं जिससे विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और सहानुभूति की भावना का विकास होता है जिससे वह समाज में अधिक समर्थ व समर्पित नागरिक बनते हैं इसके अलावा समावेशी शिक्षा समाज में विशेष रूप से विपणन और एक जुटताको प्रोत्साहित करती हैं जो आधुनिक समाज के लिए अति आवश्यक हैंराष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा से अन्य पिछड़े वर्ग व निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है विभिन्न भौगोलिक व ऐतिहासिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जातियों के बच्चों भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं उनका निवारण भी समावेशी शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है।

शिक्षा में समावेशन की सीमाएं:

समावेशी शिक्षा में कुछ सीमाएं होती हैं जो निम्न है

- समावेशी शिक्षा में भाषा और संस्कृति की समझ की समस्या होती हैं जिसको समझने में छात्रों को परेशानी महसूस कर सकते हैं

- समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती हैं जो छात्रों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष संसाधन की उपलब्धता नहीं होने के कारण वह सामान्य शिक्षा में पीछे जाते हैं
- समावेशी शिक्षा में विविधताओं की कमी होने के कारण छात्रों के अनुभव में संकीर्णता आ जाती हैं जिसके कारण बालकों का मानसिक विकास कम हो पता है और सोचने की शक्ति कम होती हैं

निष्कर्ष

शिक्षा का महत्व और प्रभाव समाज में गहरे रूप से महसूस किया जाता है। एक अच्छी शिक्षा सभी को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करती है शिक्षास्वयं के लिए आवश्यक होती है बल्कि एक समावेशी समाज व सभी समाज के निर्माण के लिए भी शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है शिक्षा ही समाज का दर्पण होता है समावेशी शिक्षा मेसभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करना वह समावेशी समाज का निर्माण करना ही मुख्य उद्देश्य होते हैं जिसमें समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हुए व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाना और उन्हें भी देश के विकास में सहयोगी भागीदारी के रूप में अपना योगदान देना महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं देश का विकास तभी संभव है जब देश के प्रत्येक नागरिक के पास शिक्षा के आवश्यक संसाधन व गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध होना आवश्यक हैजो समाज को समवर्ती और प्रगति की दिशा में ले जाता है जिसके कारण ही देश का विकास होताहै इसके अलावा शिक्षा समाज में सामाजिक समरसता, समाजिक न्याय और सामाजिक अधिकारों को

प्रोत्साहन करती हैं इसलिए शिक्षा का महत्व और योगदान निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज और सरकार के साथ मिलकर काम किया जाता है

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,मानवसंसाधनएवम् विकास मंत्रालय भारत सरकार

2.एनसीएफ2005,राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

3. जन अधिकार अधिनियम 2016 भारत सरकार

4. समावेशी विद्यालय का निर्माण शिक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी

5. समावेशी शिक्षा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय